2025:CGHC:46878

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 23/2017

मेसर्स अजेंदर सिंह, एक भागीदारी फर्म, जो रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी के पास विधिवत पंजीकृत है, जिसका कार्यालय देवेंद्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित है,तथा प्रतिनिधित्व द्वाराः भागीदार श्री अजेंदर सिंह, आयु लगभग 57 वर्ष, पिता श्री दिलीप सिंह, निवासी सी–117, सेक्टर–1, देवेंद्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।

...आवेदक

विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा – सचिव, लोक निर्माण विभाग , रायपुर, छत्तीसगढ़।

2. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क), संभाग क्रमांक–1, रायपुर, छत्तीसगढ़।

...उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक की ओर से : श्री अनुराग सिंह, अधिवक्ता की ओर से श्री कबीर कलवानी, अधिवक्ता,

उत्तरवादीगण की ओर से : श्री आर.एस. मरहास, अतिरिक्त महाधिवक्ता।

एकल पीठ – माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

बोर्ड पर निर्णय

12.09.2025

1. आवेदक ने यह पुनरीक्षण याचिका छत्तीसगढ़ माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, 1983 (संक्षिप्त में, "अधिनियम, 1983") की धारा 19 के अधीन प्रस्तुत की है, जिसमें दिनांक 16.11.2016 के आदेश की वैधता, विधिमान्यता एवं औचित्यता को प्रश्नगत किया गया है। उक्त आदेश के माध्यम से आवेदक के संदर्भ को गुण–दोष के आधार पर उचित न पाते हुए खारिज कर दिया गया था।

2. उपरोक्त चुनौती निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के आधार पर दी गई है:–

(i) आवेदक ने राज्य शासन के साथ एक करार निष्पादित किया था, जो करार क्रमांक 5/डीएल/2002–03 था, जिसके लिए आवेदक को दिनाँक 05.04.2002 को कार्य आदेश जारी किया गया था। उक्त करार के अनुसार, आवेदक को 3 वर्षों तक सड़क के रखरखाव का कार्य करना आवश्यक था, जो कार्य पूर्ण होने की तिथि से शुरू होकर तीन वर्ष की समाप्ति तक होना था। कार्य दिनाँक 20.06.2002 को पूर्ण हुआ और उसे अंतिम बिल का संदाय कर दिया गया। आवेदक का यह भी कहना है कि उसने पूरे तीन वर्षों अर्थात दिनांक 22.06.2002 से 22.06.2005 तक रखरखाव का कार्य निष्पादित किया।

(ii) आवेदक का प्रकरण यह है कि रखरखाव की अवधि समाप्त होने के साढ़े चार (4½) वर्ष उपरांत, उत्तरवादीगण ने छत्तीसगढ़ के महालेखाकार द्वारा उठाई गई कुछ ऑडिट आपत्तियों के आधार पर उससे ₹ 42,56,000/– की राशि की मांग की। उक्त मांग के अग्रसरण में, उत्तरवादीगण ने दिनांक 30.11.2019 के ज्ञापन द्वारा याचिकाकर्ता के एक अन्य करार क्रमांक 97/डीएल /2008–09 की सुरक्षा निधि से ₹ 7,39,006/– की वसूली कर ली। इसके विरुद्ध, आवेदक ने अनुबंध की कण्डिका 29 का संदर्भ देते हुए अधीक्षण अभियंता से विवाद के निराकरण का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। तत्पश्चात आवेदक ने मुख्य अभियंता के समक्ष अपील की, जिसे भी खारिज कर दिया गया। इसी के परिणामस्वरूप ₹ 7,39,006/– की वापसी और उस पर 14% ब्याज कुल राशि ₹ 7,64,871/– के लिए यह संदर्भ याचिका प्रस्तुत की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iii) उत्तरवादी–राज्य ने अपना जवाब प्रस्तुत किया और आवेदक के दावे का खंडन किया। जवाब में कहा गया कि यद्यपि निष्पादन गारंटी वापस कर दी गई थी, किंतु दिनाँक 21.01.2004 को उत्तरवादीगण ने आवेदक को भारत के माननीय राष्ट्रपति के आगमन के कारण मरम्मत कार्य करने के लिए कहा था, परंतु याचिकाकर्ता ने कार्य प्रारंभ और समाप्त नहीं किया। उक्त कार्य किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से कराया गया जिससे उत्तरवादीगण को ₹ 42,56,000/– की हानि हुई और यह राशि आवेदक से वसूल किए जाने योग्य है।

3. अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन करने के उपरांत, छत्तीसगढ़ माध्यस्थम् अधिकरण, रायपुर (संक्षिप्त में, 'अधिकरण') ने करार की कण्डिका 37 व 39 का अवलंब लेते हुए संदर्भ याचिका को खारिज कर दिया है। अधिकरण के उक्त आदेश से व्यथित और असंतुष्ट

होकर, आवेदक ने अधिनियम, 1983 की धारा 19 के अधीन वर्तमान सिविल पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की है।

4. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कबीर कलवानी का यह तर्क है कि कथित राशि का आवेदक के विरुद्ध कभी भी अधिनिर्णयन नहीं किया गया था, इसलिए उक्त राशि की वसूली आवेदक के अन्य करार क्रमांक 97/डीएल /2008–09 से नहीं की जा सकती थी। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **मेसर्स ए.के. कंस्ट्रक्शन कंपनी विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़) व अन्य**[1] के प्रकरण में पारित निर्णय का अवलंब लिया है।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आर.एस. मरहास ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया और यह तर्क किया कि चूंकि आवेदक ने रखरखाव और मरम्मत का कार्य निष्पादित नहीं किया था, इसलिए राशि की वसूली आवेदक से उचित रूप से की गई है और परिणामस्वरूप, यह सिविल पुनरीक्षण याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना, उनके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. यह निर्विवाद है कि संबंधित अनुबंध के लिए निष्पादन गारंटी आवेदक को वापस कर दी गई थी और दिनांक 21.01.2004 को उत्तरवादीगण ने आवेदक को भारत के माननीय राष्ट्रपति के आगमन के कारण मरम्मत कार्य करने के लिए कहा था, किंतु आवेदक ने कार्य निष्पादित नहीं किया। उक्त कार्य किसी अन्य एजेंसी से कराया गया जिससे उत्तरवादी–विभाग को ₹ 42,56,000/– की हानि हुई, जिसे आवेदक से वसूलने का प्रयत्न किया गया। हालांकि, यहाँ यह उल्लेख करना सुसंगत है कि यद्यपि ₹ 7,64,871/– की राशि आवेदक के एक अन्य अनुबंध करार क्रमांक 97/डीएल/2008–09 की सुरक्षा निधि से वसूल की गई थी और यद्यपि वह राशि किसी न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा अधिनिर्णयन के माध्यम से देय और वसूलीयोग्य घोषित नहीं की गई थी, फिर भी विभाग ने स्वयं मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए अनुबंध की कण्डिका 37 व 39 का अवलंब लेकर उक्त राशि वसूलने का प्रयत्न किया।

8. इस स्तर पर, इस संबंध में सुसंगत न्यायिक निर्णयों का संज्ञान लेना उचित होगा।

9. **कर्नाटक राज्य व अन्य विरुद्ध श्री रामेश्वर राइस मिल्स तीर्थहल्ली व अन्य**[2] के प्रकरण में, अनुबंधकर्ता ने कुछ भवनों के निर्माण के लिए राज्य के साथ एक करार किया था। चूंकि अनुबंधकर्ता कार्य पूर्ण करने में असफल रहा, इसलिए उनके द्वारा किए गए करार की शर्तों के अनुसार अनुबंधों को समाप्त कर दिया गया और देय क्षतिपूर्ति का आकलन किया गया। पक्षकारों के दायित्व के प्रश्न पर बिना किसी

1 2005 (4) M.P.H.T.15 (CG)
2 AIR 1987 SC 1359

अधिनिर्णयन के, उस राशि को भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूलने का प्रयत्न किया गया। उच्चतम न्यायालय ने करार की कण्डिका 12 पर विचार करते हुए निम्नानुसार अवधारित किया: –

> "यदि तर्क की खातिर यह मान भी लिया जाए कि धारा 12 की शर्तों की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि वे राज्य के अधिकारी को अनुबंध के उल्लंघन के प्रश्न पर निर्णय लेने और साथ ही क्षतिपूर्ति की मात्रा का आकलन करने की शक्ति प्रदान करती हैं, तो भी हम यह नहीं मानते कि अनुबंध के उल्लंघन के संबंध में अधिकारी द्वारा किए गए अधिनिर्णयन को विधि के अधीन उचित ठहराया जा सकता है, क्योंकि करार का कोई भी पक्षकार अपने स्वयं के प्रकरण में मध्यस्थ नहीं हो सकता। न्याय और साम्या के हित यह मांग करते हैं कि जहाँ अनुबंध का एक पक्षकार शर्तों के उल्लंघन किए जाने के तथ्य पर विवाद करता है, वहाँ उसका अधिनिर्णयन किसी स्वतंत्र व्यक्ति या निकाय द्वारा किया जाना चाहिए, न कि अनुबंध के दूसरे पक्षकार द्वारा। यद्यपि, स्थिति तब भिन्न होगी जहाँ शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद न हो या अनुबंधकर्ता पक्षकारों के मध्य आम सहमति हो। ऐसी स्थिति में, धारा 12 की विशिष्ट शर्तों को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य का अधिकारी, अनुबंध का एक पक्षकार होने के बावजूद, उल्लंघन के कारण हुए हानि का आकलन करने के अपने अधिकारों के भीतर होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने **<u>ए.के. कंस्ट्रक्शन कंपनी</u>** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में जहाँ निर्माण कार्य के आवंटन और कार्य पूर्ण होने के बाद बिल प्रस्तुत किए गए थे, किंतु दावा बिलों का संदाय नहीं किया गया, जिसके कारण पक्षकारों के मध्य विवाद उद्भूत हुआ और व्यथित पक्षकार ने अधिनियम, 1983 के अधीन गठित माध्यस्थम् अधिकरण की शरण ली वहाँ राज्य शासन का बचाव यह था कि शासकीय बकाया राशि की वसूली की जानी थी और करार की शर्तों के अनुसार, शासन न केवल संबंधित अनुबंध के अधीन, बल्कि अन्य अनुबंधों के अधीन भी "वसूलीयोग्य राशि" वसूल किए जाने की हकदार था। तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि शासन स्वयं के प्रकरण में मध्यस्थ या न्यायाधीश नहीं हो सकता और वह तब तक राशि की वसूली नहीं कर सकती जब तक कि उस राशि को न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा अधिनिर्णयन के माध्यम से देय और वसूलीयोग्य न ठहरा दिया गया हो। खंडपीठ ने निम्नानुसार अवधारित किया: –

> "उक्त कण्डिका के दूसरे वाक्य से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यदि सुरक्षा निधि अपर्याप्त है या यदि अनुबंधकर्ता से कोई सुरक्षा निधि नहीं ली गई है, तो शेष राशि या कुल वसूलीयोग्य राशि, जो भी स्थिति हो, उस राशि से काट ली

जाएगी जो उस समय अनुबंधकर्ता को देय हो या जो भविष्य में किसी भी समय वर्तमान अनुबंध या शासन के साथ किसी अन्य अनुबंध के अधीन देय हो जाए। यहाँ वसूलीयोग्य राशि पद का अर्थ ऐसी किसी भी राशि से होगा जिसे या तो अनुबंधकर्ता ने शासन को देय होना स्वीकार कर लिया हो, या जिसे अनुबंधकर्ता द्वारा विवादित किए जाने पर न्यायालय या मध्यस्थ द्वारा अनुबंधकर्ता से देय और वसूलीयोग्य होने के रूप में अधिनिर्णित कर दिया गया हो। धारा 4.3.39.1 की केवल यही व्याख्या प्राकृतिक न्याय के उस सिद्धांत के अनुरूप हो सकती है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के प्रकरण में न्यायाधीश नहीं हो सकता। यदि इसे वैसा ही मान लिया जाए जैसा कि माध्यस्थम् अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया है कि वसूलीयोग्य राशि वह कोई भी राशि है जिसे शासन या शासन का कोई अधिकारी अनुबंधकर्ता से वसूल किए जाने योग्य समझता है तो शासन या ऐसा अधिकारी अपने स्वयं के प्रकरण में न्यायाधीश बन जाएगा और वह अनुबंधकर्ता से किसी भी राशि को वसूलने का हकदार हो जाएगा,भले ही उक्त राशि विवादित हो और मध्यस्थ या न्यायालय द्वारा उसे देय एवं वसूलीयोग्य घोषित न किया गया हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इसी प्रकार, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने **मेसर्स मैकाडम मेकर्स विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य**[3] के प्रकरण में, **श्री रामेश्वर राइस मिल्स तीर्थहल्ली** (पूर्वोक्त) और **ए.के. कंस्ट्रक्शन कंपनी** (पूर्वोक्त) के प्रकरणों का अनुपालन करते हुए, समान विधिक सिद्धांत को निम्नानुसार प्रतिपादित किया है: –

"20. अतः, यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि यद्यपि उत्तरवादीगण ने याचिकाकर्ता से एक निश्चित राशि वसूलीयोग्य होने का दावा किया और यह आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता का कार्य असंतोषजनक था तथा वह दिनांक 06.11.2008 के पत्र के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर सड़क की मरम्मत करने में असफल रहा, फिर भी याचिकाकर्ता ने अधीक्षण अभियंता के समक्ष विवाद उठाकर मध्यस्थता कण्डिका–29 के प्रावधानों का आश्रय लिया। यद्यपि, संदाय के प्रति याचिकाकर्ता के दायित्व के अधिनिर्णयन के बिना ही, कथित राशि की वसूली याचिकाकर्ता से करने का प्रयत्न किया जा रहा है, और उत्तरवादी–कार्यपालन अभियंता ने दिनांक 03.12.2010 का आक्षेपित पत्र जारी करने की कार्यवाही की है। उत्तरवादी–राज्य प्राधिकारी के इस कृत्य को केवल मनमाना और अयुक्तियुक्त ही कहा जा सकता है, जो

3 AIR 2012 Chhattisgarh 123

> भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, उत्तरवादी इस न्यायालय के संज्ञान में ऐसा कोई प्रचलित विधि नहीं ला सके, जो उत्तरवादी प्राधिकारी को अन्य कार्यों के संबंध में याचिकाकर्ता के अन्य कार्यालयों में जमा देय भुगतानों और जमा राशियों तक हाथ फैलाकर वसूली करने के लिए अधिकृत करता हो। यहाँ तक कि करार में भी ऐसी कोई शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं। वर्तमान प्रकरण ऐसा नहीं है जहाँ अधिनिर्णयन के बाद भी याचिकाकर्ता राशि जमा करने में असफल रहा हो और इसलिए उत्तरवादीगण ने भू–राजस्व के बकाया के रूप में राशि वसूलने की कार्यवाही की हो।"

12. **भारत संचार निगम लिमिटेड व एक अन्य विरुद्ध मोटोरोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**[4] के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **श्री रामेश्वर राइस मिल्स तीर्थहल्ली** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत का अनुपालन किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि कोई भी पक्षकार अपने स्वयं के प्रकरण में न्यायाधीश नहीं हो सकता।

13. **जे.जी. इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड विरुद्ध भारत संघ व एक अन्य**[5] के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **श्री रामेश्वर राइस मिल्स तीर्थहल्ली** (पूर्वोक्त) के प्रकरण का अवलंब लेते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुबंध की शर्त के उल्लंघन से संबंधित विवाद्यक पर निर्णय लेना, और उस उल्लंघन से उद्भूत होने वाले क्षतिपूर्ति के आकलन का अधिनिर्णयन करना ये दो भिन्न–भिन्न और विशिष्ट अवधारणाएँ हैं। न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले क्षतिपूर्ति के आकलन के अधिकार में यह अधिकार शामिल नहीं होगा कि वह इस बात का भी अधिनिर्णयन करे कि क्या वास्तव में कोई उल्लंघन हुआ भी था या नहीं। करार का कोई भी एक पक्षकार अपने पास यह शक्ति सुरक्षित नहीं रख सकता कि वह स्वयं ही यह तय करे कि दूसरे पक्षकार ने उल्लंघन किया है।

14. **मेसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड विरुद्ध भारत संघ व अन्य**[6] के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बैंक गारंटी को भुनाने के प्रश्न पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि उत्तरवादीगण द्वारा अपीलार्थी से दावा की गई राशि क्षतिपूर्ति की प्रकृति की है, जिसका अभी तक मध्यस्थता कार्यवाही के माध्यम से अधिनिर्णयन नहीं किया गया है। माननीय न्यायाधिपतिगण ने अपनी रिपोर्ट के कण्डिका 42 में निम्नानुसार अवधारित किया है: –

> "42. प्रकरण के अभिलेख के परिशीलन करने पर, हम पाते हैं कि प्रथमतः, दिनांक 22.08.2005 के अनुबंध के संबंध में मध्यस्थता की कार्यवाही अभी भी लंबित है। द्वितीयतः, उत्तरवादीगण द्वारा अपीलार्थी से दावा की गई

4 AIR 2009 SC 357
5 (2011) 5 SCC 758
6 AIR 2016 SC 2199

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> राशि उस अनुबंध से संबंधित नहीं है जिसके लिए बैंक गारंटी दी गई थी, बल्कि यह 22.08.2005 के एक अन्य अनुबंध से संबंधित है जिसके लिए कोई बैंक गारंटी नहीं दी गई थी। तृतीय, उत्तरवादीगण द्वारा किया गया दावा क्षतिपूर्ति की प्रकृति का है, जिसका अभी तक मध्यस्थता कार्यवाही में अधिनिर्णयन नहीं हुआ है। चतुर्थ, दावा की गई राशि न तो वर्तमान में देय राशि है और न ही संदाय योग्य राशि है। दूसरे शब्दों में, उत्तरवादीगण द्वारा दावा की गई राशि न तो कोई स्वीकृत राशि है और न ही ऐसी राशि है जो किसी न्यायिक कार्यवाही में किसी न्यायालय द्वारा अधिनिर्णित की गई हो, बल्कि यह एक विवादित राशि है। और अंततः, चूंकि संबंधित बैंक गारंटी दिनांक 14.07.2006 के अनुबंध (आनंद विहार कार्य) के निष्पादन के लिए दी गई निष्पादन गारंटी की प्रकृति की थी और वह कार्य उत्तरवादीगण की संतुष्टि के अनुरूप पूर्ण हो चुका था, अतः उन्हें उस बैंक गारंटी को भुनाने का कोई अधिकार नहीं था।"

15. **हमीदा हार्डवेयर स्टोर्स विरुद्ध बी. मोहन लाल सौकार**[7] के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपतिगण ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

> "13..... 'दावा' शब्द का अभिप्रेत है "किसी वस्तु को देय मानकर उसकी मांग करना" अथवा "अधिकार के आधार पर किसी वस्तु की चाहत या मांग करना' आदि।"

16. चूंकि ₹ 7,64,871/– की राशि आवेदक के एक अन्य अनुबंध से वसूल की गई है, जिसका सक्षम प्राधिकारी न तो न्यायालय और न ही माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा कोई अधिनिर्णयन किया गया था; अतः बिना किसी अधिनिर्णयन के,राज्य शासन स्वयं के प्रकरण में मध्यस्थ या न्यायाधीश नहीं बन सकता था और उक्त राशि तब तक वसूली नहीं जा सकती थी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस राशि को देय और वसूलीयोग्य न ठहरा दिया गया हो। प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए, दिनांक 16.11.2016 के आक्षेपित आदेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। उत्तरवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे ₹ 7,39,006/– की राशि, छत्तीसगढ़ माध्यस्थम् अधिकरण, रायपुर के समक्ष संदर्भ याचिका प्रस्तुत करने की तिथि,अर्थात दिनाँक 11.03.2010 से 6% वार्षिक ब्याज सहित संदाय करें।

17. फलस्वरूप, वर्तमान सिविल पुनरीक्षण याचिका को उपरोक्त दर्शित सीमा तक **स्वीकार** किया जाता है।

---

7 AIR 1988 SC 1060

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

(संजय के.अग्रवाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur